कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466

पत्रांक : 19M(05)CAMPA(2020-21)- 476. दिनांक : 24.11.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो / धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद / रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह / देवघर वन प्रमण्डल, देवघर / दुमका वन प्रमण्डल, दुमका / गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा / जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा / पाकुड़ वन प्रमण्डल पाकुड़ / साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग / कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा / चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा / जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर / कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा / पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा / सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला / सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा / लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार / मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदनीनगर / गुमला वन प्रमण्डल, गुमला / खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी / लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा / राँची वन प्रमण्डल, राँची / सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा / वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग / वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची / उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर / उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदनीनगर / उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदनीनगर।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य" योजना के अंतर्गत "मानव-वन्यप्राणी संघर्ष का निराकरण" के लिये संचार नेटवर्क हेतु कुल रू0 24.050 लाख (चौबिस लाख पाँच हजार रूपये) मात्र का उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।**

प्रसंग:- 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020 - 06/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 23.07.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-04/2020 - 02/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 24.07.2020 एवं पत्र संख्या -04/कैम्पा-04/2020 - 2704 व0प0 दिनांक 01.09.2020

2. इस कार्यालय का पत्रांक 245 दिनांक 26.06.2020, पत्रांक 267 दिनांक 08.07.2020, ज्ञापांक 293 दिनांक 28.07.2020 एवं ज्ञापांक 347 दिनांक 03.09.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष -103- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप **शीर्ष- 05-"वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य" योजना** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से "मानव-वन्यप्राणी संघर्ष का निराकरण" के लिये संचार नेटवर्क हेतु कुल **रू0 24.050 लाख (चौबिस लाख पाँच हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाई में किया जाता है:-

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	19S240604103050315	24.050
	कुल :-		**24.050**

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक / उप निदेशक होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश **अनुलग्नक-2** एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदनों में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 245 दिनांक 26.06.2020 एवं पत्रांक 267 दिनांक 08.07.2020 द्वारा भेजी गयी है–

(vi) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास संबंधी कार्य अनुमोदित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना अथवा कार्य नियोजना के अनुसार किये जायेंगे।

(vii) NPV & Penal NPV में संदर्भित कार्य, यदि वनभूमि पर किये जाते हैं तो वे कार्य नियोजना (Working Plan) के अनुसार किये जायेंगे।

(viii) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत् जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(ix) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू, ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(x) ग्राम सभा / ग्राम वन समिति / अन्य प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित परामर्श का अभिलेख संधारित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 04/कैम्पा–04/2020–06/स्वी० दिनांक 23.07.2020 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :–

4. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप की जायेगी।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा योजना कार्यान्वियन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वियन प्रभाग/कार्यान्वियन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगें–

(II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(III) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(VII) गत तीन वर्षों की योजना की 100% प्रवृष्टि e-green watch portal पर की गई है, इसका सत्यापन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा सुनिश्चित करायेंगे, इसकी monitoring करेंगें। JSAC इत्यादि के सहयोग की आवश्यकता हो तो इसे प्राप्त करें।

7. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (वाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

8. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वियनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मस्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा सम्भव) भी एकत्र किया जाय।

(V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत् है। तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन, योजना सूची संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रुप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।

(VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(X) कंडिका–IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(III) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

10. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(II) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का अंग है। अनुमोदित APO के अधीन हजारीबाग, गिरीडीह, गोड्डा में इनका कार्यान्यन किया जा रहा है।

(III) कंडिका–10 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कंडिका–II में अंकित पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी इस योजना के अधीन रहेंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं कंडिका–7 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 8 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगें। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 9 (IV) एवं 8 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

15. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

24.11.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

24/11

ज्ञापांक– 19M(05)CAMPA(2020-21)- 476 दिनांक– 24.11.2020

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ बोकारो/ हजारीबाग/ दुमका/ पलामू/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, मेदनीनगर/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अँचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ दुमका/ मेदिनीनगर/ लातेहार/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

24.11.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 19M(05)CAMPA(2020-21)- 476 दिनांक– 24.11.2020

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ सिमडेगा/ लोहरदगा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला–खरसावां/ हजारीबाग/ चतरा/ कोडरमा/ बोकारो/ रामगढ़/ धनबाद/ गिरिडीह/ दुमका/ गोड्डा/ साहेबगंज/ पाकुड़/ जामताड़ा/ देवघर/ मेदिनीनगर/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

24.11.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक – 1

झारखण्ड कैम्पा

वित्तीय वर्ष 2020–21 में "05–वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य" उप शीर्ष के अन्तर्गत "मानव–वन्यप्राणी संघर्ष का निराकरण" हेतु प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संचार नेटवर्क	
		कार्यालय व्यय	कुल राशि
1	2	3	4
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	0.50000	0.50000
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	0.50000	0.50000
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ वन प्रमण्डल, रामगढ	0.75000	0.75000
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	0.50000	0.50000
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	1.00000	1.00000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	0.75000	0.75000
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	0.50000	0.50000
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	0.50000	0.50000
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	0.50000	0.50000
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	0.50000	0.50000
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	0.50000	0.50000
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1.00000	1.00000
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1.00000	1.00000
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	0.50000	0.50000
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	0.50000	0.50000
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	0.50000	0.50000
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	0.75000	0.75000

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संचार नेटवर्क	
		कार्यालय व्यय	कुल राशि
1	2	3	4
18	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1.00000	1.00000
19	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	0.75000	0.75000
20	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	0.50000	0.50000
21	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	0.75000	0.75000
22	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1.00000	1.00000
23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	0.50000	0.50000
24	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	0.40000	0.40000
25	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	1.00000	1.00000
26	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	1.00000	1.00000
27	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	1.00000	1.00000
28	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	0.50000	0.50000
29	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	1.00000	1.00000
30	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1.00000	1.00000
31	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1.00000	1.00000
32	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	0.40000	0.40000
33	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	1.00000	1.00000
34	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	0.50000	0.50000
	सकल योग	**24.05000**	**24.05000**

24.11.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

24/11

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉंग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मुख्य शीर्ष-2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी & 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास & 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन & 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240604103050315 कार्यालय व्यय	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Bokaro	BKRFOR001	Arun Kumar Singh	D F O, Bokaro	₹50,000.00 (58282)	₹50,000.00
2	Dhanbad	DHNFOR001	Sri Bimal Lakra	Divisional Forest Officer	₹50,000.00 (58285)	₹50,000.00
3	Ramgarh	HZBFOR001	Div. Forest Officer Ramgarh	Div. Forest Officer	₹75,000.00 (58289)	₹75,000.00
4	Giridih	GRDFOR001	Rajkumar Sah	Dfo Giridih East For.Div.	₹50,000.00 (58292)	₹50,000.00
5	Giridih	GRDFOR003	Shaba Alam Ansari	D.F.O. Giridih West For. Div.	₹1,00,000.00 (58293)	₹1,00,000.00
6	Dumka	DMKFOR010	Sourav Chandra	D.F.O.Dumka	₹75,000.00 (58294)	₹75,000.00
7	Godda	GDDFOR164	Patruni Rajendra Naidu	Dfo Godda Forest Division	₹50,000.00 (58296)	₹50,000.00
8	Pakur	PKRFOR001	Vikas Paliwal	Divisional Forest Officer	₹50,000.00 (58297)	₹50,000.00
9	Sahebganj	SBJFOR001	Vikas Paliwal	Div.For.Off.Sahibganj	₹50,000.00 (58298)	₹50,000.00
10	Deoghar	DGRFORE88	Premjit Anand	Dfo Deo.For.Div.Deo.	₹50,000.00 (58301)	₹50,000.00
11	Jamtara	JMTFOR001	Bankar Ajinkya Devidas	D.F.O. Jamtara	₹50,000.00 (58303)	₹50,000.00
12	Hazaribagh	HZBFWL009	Smitha Pankaj	Div. Forest Officer East	₹1,00,000.00 (58304)	₹1,00,000.00
13	Hazaribagh	HZBFWL005	Ravindra Nath Mishra I.F.S.	D.F.O., Hazaribag West Div,Hzb	₹1,00,000.00 (58305)	₹1,00,000.00
14	Koderma	KDMFORA01	Suraj Kumar Singh	D.F.O. Koderma	₹50,000.00 (58306)	₹50,000.00
15	Chatra	CTRFOR002	Vikas Meena	D.F.O, North Div. Chatra	₹50,000.00 (58307)	₹50,000.00
16	Chatra	CTRFOR003	Vikas Meena	D.F.O. South Divn. Chatra	₹50,000.00 (58308)	₹50,000.00
17	Jamshedpur	JSRFOR051	Mamta Priyadarshi (I.F.S)	D.F.O.Jamshedpur Frm.Jsr.	₹75,000.00 (58309)	₹75,000.00
18	Saraikela	SKLFOR001	Aditya Narayan	D. F. O. Seraikella-Kharsawan	₹1,00,000.00 (58310)	₹1,00,000.00
19	Singhbhum West	SGHFOR010	Satyam Kumar (I.F.S.)	Dfo.Chaibasa Forest Div.	₹75,000.00 (58312)	₹75,000.00
20	Singhbhum West	SGHFOR002	Sri. Abhishek Bhushan (I.F.S.)	D.F.O.Kolhan Forest Div,Cbsa	₹50,000.00 (58313)	₹50,000.00
21	Singhbhum West	SGHFOR003	Sri. Nitish Kumar (Ifs)	D.F.O.Porahat Forest Div.	₹75,000.00 (58314)	₹75,000.00
22	Singhbhum West	SGHFOR011	Sri Rajneesh Kumar	D.F.O.Saranda Forest Div.Ifs	₹1,00,000.00 (58316)	₹1,00,000.00
23	Palamu	PLMFOR070	Rahul Kumar Ifs	D.F.O.Medininagar.Forest.Div.	₹50,000.00 (58317)	₹50,000.00
24	Latehar	LTRFOR001	Raushan Kumar	Dfo Forest Div Latehar	₹40,000.00 (58319)	₹40,000.00
25	Doranda	DRNFWL013	Ashok Kumar Dubey	Dfo. Ranchi Forest Division Ra	₹1,00,000.00 (58320)	₹1,00,000.00
26	Khunti	RNCFORK01	Kuldeep Meena	D.F.O Khunti	₹1,00,000.00 (58322)	₹1,00,000.00
27	Gumla	GMLFOR001	Srikant Ifs	D.F.O. Gumla	₹1,00,000.00 (58325)	₹1,00,000.00
28	Lohardaga	LDGFOR001	Vikash Kumar Ujjwal	Div.Forest Officer	₹50,000.00 (58326)	₹50,000.00
29	Simdega	SDGFOR002	Sushil Soren	Divisional Forest Officer Simd	₹1,00,000.00 (58327)	₹1,00,000.00
30	Palamu	PLMFOR069	Kumar Ashish Ifs	Dy.Dir.Tiger.Pro.North.Div.Med	₹1,00,000.00 (58328)	₹1,00,000.00
31	Palamu	PLMFOR068	Mukesh Kumar	Dy.Dir.Tiger.Pro.South.Div.Med	₹1,00,000.00 (58329)	₹1,00,000.00
32	Hazaribagh	HZBFWL016	Awanish Kumar Chaudhary	D.F.O.Wild Life Hzb	₹40,000.00 (58331)	₹40,000.00
33	Doranda	DRNFWL049	Rajiv Ranjan	Dfo Wild Life Division Ranchi	₹1,00,000.00 (58332)	₹1,00,000.00
34	Jamshedpur	JSRFOR002	Shri Abhishek Kumar (I.F.S)	Dy.C.F.& F.O.Proj.Elephant Jsr	₹50,000.00 (58333)	₹50,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹24,05,000.00 (pkSbl yk[k ikWp gtkj) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDl.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
24/11

अनुलग्नक - 3

आवंटन आदेश

[illegible]

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकीकृत सं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58262	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	50,000.00 रुपये पचास हजार
2	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58265	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	50,000.00 रुपये पचास हजार

योग: 100,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDLPCCF CAMPA JHARKHAND

59.97.145.37

Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58289	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
4	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58292	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	50,000.00 रुपये पचास हजार
5	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58293	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 225,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख पच्चीस हजार 325,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDLPCCF CAMPA JHARKHAND

Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एडवाइस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 06 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58294	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
7	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 06 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58296	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	50,000.00 रुपये पचास हजार
8	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 06 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58297	PKRFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	50,000.00 रुपये पचास हजार

योग: 175,000.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच लाख 500,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDLPCCF-CAMPA JHARKHAND

RANC

Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विषय कोड</th><th>एक्सेस नं</th><th>निकासी एवं व्ययन पदा.</th><th>आवंटित राशि</th></tr>
<tr><td>9</td><td>S 19 240604103050315
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी
04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण
05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य
03 - प्रशासनिक व्यय
15 - कार्यालय व्यय
State Scheme
State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770)
Centeral Scheme : NA</td><td>58298</td><td>SBJFOR001
VIKAS PALIWAL
DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ</td><td>50,000.00
रुपये पचास हजार</td></tr>
<tr><td>10</td><td>S 19 240604103050315
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी
04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण
05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य
03 - प्रशासनिक व्यय
15 - कार्यालय व्यय
State Scheme
State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770)
Centeral Scheme : NA</td><td>58301</td><td>DGRFORE88
PREMJIT ANAND
DFO
DEO.FOR.DIV.DEO.</td><td>50,000.00
रुपये पचास हजार</td></tr>
<tr><td>11</td><td>S 19 240604103050315
2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी
04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण
05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य
03 - प्रशासनिक व्यय
15 - कार्यालय व्यय
State Scheme
State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770)
Centeral Scheme : NA</td><td>58303</td><td>JMTFOR001
BANKAR AJINKYA DEVIDAS
D.F.O. JAMTARA</td><td>50,000.00
रुपये पचास हजार</td></tr>
</table>

योग: 150,000.00

क्रमिक योग: रुपये छः लाख पचास हजार 650,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF,CAMPA JHARKHAND

 59.97.145.37 Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Fore[sts]
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एडवाइस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58304	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	100,000.00 रुपये एक लाख
13	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58305	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	100,000.00 रुपये एक लाख
14	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58306	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	50,000.00 रुपये पचास हजार

योग: 250,000.00

क्रमिक योग: रुपये नौ लाख 900,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF,CAMPA JHARKHAND

Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का नियत वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58307	CTRFOR002 VIKAS MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	50,000.00 रुपये पचास हजार
16	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का नियत वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58308	CTRFOR003 VIKAS MEENA D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	50,000.00 रुपये पचास हजार
17	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का नियत वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58309	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार

योग: 175,000.00

क्रमिक योग: रुपये दस लाख पचहत्तर हजार 1,075,000.00

24.11.2020
(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDl.PCCF,CAMPA JHARKHAND

 59.97.145.37 Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58310	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	100,000.00 रुपये एक लाख
19	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58312	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
20	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58313	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	50,000.00 रुपये पचास हजार

योग: 225,000.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख 1,300,000.00

24, 11, 2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDLPCCF,CAMPA JHARKHAND

 10.97.145.37 RANC Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58314	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
22	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58316	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	100,000.00 रुपये एक लाख
23	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58317	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	50,000.00 रुपये पचास हजार

योग: 225,000.00

क्रमिक योग: रुपये पंद्रह लाख पच्चीस हजार 1,525,000.00

24.11.2020
(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDLPCCF CAMPA JHARKHAND

 59.97.145.37 RANC Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
24/11

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58319	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	40,000.00 रुपये चालीस हजार
25	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58320	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	100,000.00 रुपये एक लाख
26	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58322	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 240,000.00

क्रमिक योग: रुपये स त्र ह लाख पैंसठ हजार 1,765,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND

 59.97.145.37 RANC Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58325	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	100,000.00 रुपये एक लाख
28	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58326	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	50,000.00 रुपये पचास हजार
29	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58327	SDGFOR002 SUSHIL SOREN DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 250,000.00

क्रमिक योग: रुपये बीस लाख पंद्रह हजार 2,015,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF,CAMPA, JHARKHAND

RANC

 10.97.145.37 Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
30	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58328	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	100,000.00 रुपये एक लाख
31	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58329	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	100,000.00 रुपये एक लाख
32	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58331	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB	40,000.00 रुपये चालीस हजार

योग: 240,000.00

अंतिम योग: रुपये बाइस लाख पचपन हजार 2,255,000.00

24. 11. 2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF,CAMPA JHARKHAND

 59.97.145.37 RANC Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

24/11

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/476 दिनांक - 24-Nov-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
33	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य क्षतिपूरक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58332	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	100,000.00 रुपये एक लाख
34	S 19 240604103050315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य क्षतिपूरक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	58333	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	50,000.00 रुपये पचास हजार

योग: 150,000.00

क्रमिक योग: रुपये चौबीस लाख पाँच हजार 2,405,000.00

24.11.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF CAMPA JHARKHAND

RANC

 59.97.145.37 Run Date: 24/11/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

269
24/11